कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3146 / 1जी–FP/UK/ROAD/8091/2014 देहरादूनः दिनांकः 06 मई, 2015

सेवा में,
अपर सचिव, वन
उत्तराखण्ड शासन

विषयः जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट से पमस्यारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.857 है0 पंचायती एवं सिविल वन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/8091/2014)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्ताव पर सहमति की दशा में सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस.टी.एस.लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

संख्या : / 1जी–FP/UK/ROAD/8091/2014 तद्‌दिनांकित

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल
3. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी0एम0जी0एस0वाई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा
5. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग
6. अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई, डीडीहाट, पिथौरागढ़

(एस.टी.एस.लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नामः

जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट से पमस्यारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.857 है0 पंचायती एवं सिविल वन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/8091/2014)

1. **टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):**

उपरोक्त योजना हेतु पिथौरागढ़ वन प्रभाग में 1.935 है0 पंचायती वन भूमि तथा 3.922 है0 सिविल वन भूमि कुल 5.857 है0 वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मार्ग निर्माण में वृक्ष आच्छादित भूमि को न्यूनतम रखने का प्रयास किया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित सिविल एवं पंचायती वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त ने भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की है। ग्रामीणों द्वारा मार्ग निर्माण में आ रहे प्राकृतिक जलश्रोतों का संरक्षण करने तथा इनके क्षतिग्रस्त होने पर पुनस्थापना किए जाने का शर्त रखा है जिसका अनुपालन किए जाने के शर्त पर जनहित में, प्रस्ताव पर सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (एस0टी0एस0लेप्चा भा.व.से)
अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं
नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहरः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून

तिथि : 6 /05/2015
स्थानः देहरादून

भाग–III

डीडीहाट–पमस्यारी मोटर मार्ग – 7.675 किमी0

(प्रस्ताव संख्या 8091 / 2014)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14 स्थल, जहॉ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हॉ / नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हॉ। दिनांक 07.02.2015 निरीक्षण आख्या संलग्न है (संलग्न–1)।
15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	ऑन–लाइन प्रस्ताव में पूर्व में **पार्ट–2 में** सूचित वृक्षों की संख्या में भिन्नता होने के कारण इस कार्यालय के **पत्रांक 1786 / 12–1 दिनांक 09.02.2015** के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पार्ट–2 में उनके द्वारा पूर्व में त्रुटिपूर्ण रूप से सूचित संख्या में अब संशोधन न हो सकने का उल्लेख कर अपने पत्रांक 2376 / 12–1 दिनांक 10.03.2015 से प्रभावित होने वाले वृक्षों की वास्तविक संख्या की सूची संलग्न की गयी है। इस प्रकार प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल सख्या को संलग्न सूची के अनुरूप 231 मानते हुए पार्ट–2 में वृक्षों के सम्बन्ध में किये गये उल्लेख में इस स्तर तक संशोधन के साथ प्रभागीय वनाधिकारी के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की जाती है। **इस कार्यालय की आपत्ति व इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक से प्राप्त संशोधित सूचना मय संलग्नकों के संलग्न की जा रही है। (संलग्न 1 से 4)**
16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे मे सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले 0से 10 व 10 से 20 व्यास श्रेणी के सभी वृक्षों का प्रत्यारोपण प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्रों में किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांक:– 12.03.2015

स्थान:– अल्मोड़ा।

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

E-Mail : cfkumaon_north@rediffmail.com ☎ (05962) 231099 (05962) 230397 Fax 230397

पत्रांक 1786/12–1 दिनांक, अल्मोड़ा, 09.02. 2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषय :– **डीडीहाट से पमस्यारी मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव।**

संदर्भ :– **आप द्वारा प्रेषित ऑन लाईन प्रस्ताव।**

महोदय,

उक्त मार्ग के ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव के आप द्वारा अंकित किये गये पार्ट–2 में प्रस्तुत सूचनाओं के अवलोकन करने पर निम्न स्थिति संज्ञान में आयी–

1. प्रपत्र के बिन्दु संख्या 4 में प्रभावित वन भूमि में प्रभावित होन वाले वृक्षों की संख्या में **कुल 65 वृक्ष** सूचित किये गये है जबकि इस प्रस्ताव से सम्बन्धित इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी हॉर्ड कॉपी के प्रपत्र 15 में वन भूमि में प्रभावित होने वाले विभिन्न प्रजातियो के वृक्षों की कुल संख्या 341 सूचित की गयी है, जिसमें बॉज प्रजाति के 97 वृक्ष सूचित है।

2. आप द्वारा ऑन लाईन किये गये पार्ट–2 में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निरीक्षण की तिथि 16.01.2015 दर्शायी गयी है जबकि इस मार्ग के प्रस्ताव की प्रस्तुत हॉर्ड कापी में यह तिथि 10.10.2014 सूचित है।

3. प्रपत्र 2 के बिन्दु संख्या 7 में प्रस्तावित मार्ग की वन क्षेत्र से दूरी 30 किमी0 दर्शायी गयी है जबकि दिनांक 07.02.2015 को स्थल निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि इस प्रस्तावित मार्ग से अस्कोट वन्य जीव विहार की दूरी 2 से 3 किमी0 से अधिक नही है।

कृपया उक्त बिन्दुओ पर स्थिति स्पष्ट करें ताकि प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

पिथौरागढ़ वन प्रभाग से सम्बन्धित सभी प्रस्ताव में अत्यधिक त्रुटिया पायी जा रही है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आपके स्तर पर भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के निस्तारण के सम्बन्ध मे लापरवाही बरती जा रही है यह आपत्तिजनक है। कृपया इस ओर ध्यान दें।

भवदीय
9/02/2015

(संतोष विजयय शर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
e- mail: dfo_pith_uta @ yahoo . com
दूरभाष / फैक्स नं0– ☎ (05964) 225234

पत्रॉक 2376 / 12-1 दिनांक, 10.3.2015 पिथौरागढ़,

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमॉऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा ।

विषयः– **डीडीहाट–पमस्यारी मोटर मार्ग का प्रस्ताव।**

संदर्भः– आपका पत्रांक 1786/12–1 दि0 09–02–2015 तथा पत्रांक 1994/12–1 दि0 26–2–2015 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार हैः–

बिन्दु संख्या–1 प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल संख्या 349 है जिसमें से 48 वृक्ष नाप भूमि में तथा 301 वृक्ष वन पंचायत तथा सिविल सोयम भूमि पर प्रभावित हो रहे हैं। पूर्व में प्रस्ताव में वृक्षों की संख्या व्यासवर्ग तथा आनलाइन प्रस्ताव में वृक्षों की संख्या परिधि के आधार पर दर्शाये जाने के कारण उक्त अन्तर उत्पन्न हुआ क्योंकि प्रस्ताव को एक बार भरने के पश्चात इसे पुनः ठीक किया जाना सम्भव नही था इसलिए आपत्ति का निराकरण करते समय प्रजातिवार गणना रिपोर्ट को पुनः स्केन कराकर अपलोड कराया गया था। यहॉ यह भी स्पष्ट कराना है कि आनलाइन पृविष्टि करते समय 31–60 Girth Class से वृक्षों की संख्या दर्शायी जानी है। 0–10 व्यासवर्ग अर्थात 0–30 Girth Class को इसमें नही दर्शाया गया है।

उक्त संबंध में दूरभाष पर भी आपके कार्यालय को अवगत करा दिया गया था।

बिन्दु संख्या–2 अधिकॉश वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में किया गया था परन्तु प्रस्ताव को आनलाइन करने के पश्चात सिस्टम की कमी के कारण इसमें निरीक्षण तिथि आनलाइन करने के बाद की भरनी पड़ रही है। इस संबंध में नोडल अधिकारी को भी समय–समय पर अवगत कराया गया है।

बिन्दु संख्या–3 प्रस्तावित मोटर मार्ग से अस्कोट वन्यजीव विहार की दूरी हार्डकापी में 3.0 कि0मी0 ही दर्शायी गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यदि आपको किसी अन्य सूचना की आवश्यकता हो तो अवगत कराने की कृपा करें।

सलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में प्रस्तावित डीडीहाट से पमस्यारी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

उक्त मोटर मार्ग से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची वन भूमि प्रस्ताव में दर्शायी गयी है जिसे **Girth class wise** के आधार पर बनाये जाने पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची निम्नप्रकार हैः–

क्र0सं0	प्रजाति	Girth Class				
		31–60	61–90	91–120	120 से अधिक	योग
1	बांज	15	66	13	3	**97**
2	चीड़	3	17	7	16	**43**
3	उतीस	0	29	9	8	**46**
4	कुकाट	0	11	2	8	**21**
5	काफल	1	1	0	0	**2**
6	तुन	0	0	1	0	**1**
7	मेहल	0	1	0	0	**1**
8	बुरांश	0	4	0	2	**6**
9	जामुन	0	2	0	0	**2**
10	अयार	0	2	0	0	**2**
11	मैवा	5	1	0	0	**6**
13	हरड़	0	0	1	0	**1**
15	गैठी	1	0	0	0	**1**
16	कटुक	0	2	0	0	**2**
17	भतेला	0	0	0	0	**0**
योगः–						**231**

नोटः– **118 वृक्ष 0–30 Girth** से कम के वृक्षों को उपरोक्त सूची में सम्मिलित नही किया गया है।

A.E.

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़।

परियोजना का नामः– डीडीहाट– पमस्यारी मोटर मार्ग 5.857 हे0
निर्माण प्रस्ताव संख्याः– 8091/2014

प्रस्तावित मोटर मार्ग से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा प्राप्त होने के उद्देश्य से उक्त 5.857 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रसारित किया जाता है। प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़ ।

निरीक्षण आख्या

दिनांक 07.02.2015 को जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, पिथौरागढ़ द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत प्रस्तावित **डीडीहाट-- पमस्यारी मोटर मार्ग निर्माण** में प्रभावित हो रहे बॉज वृक्षों के संदर्भ में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता व स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया।

प्रस्तावित मार्ग की **कुल लम्बाई0 7.675 किमी0 है** जिसमें विभिन्न प्रजातियों **के कुल 349 वृक्षों** प्रभावित हो रहे है जिनमें **से 97 वृक्ष बांज प्रजाति** के है। इसके अतिरिक्त बांज प्रजाति के **95 वृक्ष 0--10 व्यास श्रेणी** के है जिनका प्रत्यारोपण किया जायेगा। यह मार्ग पूर्व में निर्मित मार्ग के विस्तार के रूप में है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के दिशा निर्देशों के **अनुसार 250 जनसंख्या से अधिक जनसंख्या वाले गॉव** को जोडने की बाध्यता है। इस बाध्यता के अनुरूप यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। क्षेत्र निरीक्षण के दौरान प्राप्त तथ्यों के अनुरूप मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की जाती है।

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक -- 2069 / 12--1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 12.03. 2015.

प्रतिलिपि -- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से कि प्रभावित होने वाले वृक्षों की पुर्नगणना कर संशोधित स्थिति/प्रस्ताव प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़, वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
2. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, पिथौरागढ़।

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रपत्र–5

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, R.E.S. PIU- II PMGSY Division, Didihat, Pithoraghar for diversion under FCA-1980) of 5.857 ha of forest land non-forestry purpose The project envisages the use of forest land for construction of Didihat to Pamsyari Motor Road under PMGSY 7.675 kms. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated ....23-9-2014....

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RE/PF/un-classed/Protect forest measuring 5.857 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col 2 part-1 is unavoidable and is minimum required for the project Yes.

Whether any rare/ endangered/unique species of flora and fauna found in the area, if, so the detail there of:- No.

Whether any protected archeological/ heritage site/ defense establishment or any other important monuments is located in the area, if so the details there of with NOC form competent authority, if required. Not required.

The user agency has not violated the provisions of forest (Conversation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. ✓

It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act. 1980 provisions. A detail report as per Para 19 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached No.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal Hence, The Proposal is recommended for acceptence.

Signature

Place: ....Pithoragarh....

Date: ....~~26~~-9-2014 (5-11)

Name.....(Dr. G.P. Singh)

Designation ....

Office Seal

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

NB
- **x.** state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted
- **xx.** Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which in not Applicable

As per letter 2-2/2000 FC dated 16102000 from Ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving leases then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCP is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation forests is required

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UK-093/2015

1. **Location of the project/Scheme :** Uttarakhand
   - (i) **State / Union Territory :** Uttarakhand
   - (ii) **District :** Pithoragarh
   - (iii) **Forest Division :** Pithoragarh
   - (iv) **Area of forest land proposed for diversion (in ha.) :** 5.857
   - (v) **Category :** Road

2. **Legal status of forest land proposed for diversion :**

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Pithoragarh	1.935	Others (pl. specify)
2	Pithoragarh	3.922	Civil Soyam land

Division 1. : Pithoragarh

3. **District wise area to be diverted in the division :**

S. No.	District	Area(ha.)
1	Pithoragarh	5.857

4. **Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :**

(ii) **Density of vegetation**

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	5.857	0.4	Eco 6

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Quercus leucotricophora	Banj	14				
2	Pinus roxburghii	Cheer	20	3			
3	Alnus Nepalensis	Uttis	16				
4	Angelhardtia Spp.	kukat	10				
5	Rhododendron arboreum	burance	2				

5. **Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :** Trees having smaller diameter will be transplanted

6. **Brief note on vulnerability of the forest area to erosion :** As per site inspection,no archaeological/historica

7. **Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) :** 30

8. **Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :**

   (i). **Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion :** No endangered wildlife present around the area.

   (ii). **Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve,tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration c** No

   (iii). **Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Area should be treated as ESZ):** No

   (iv). **Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor e within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion :** No

   (v). **Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area :** No

9. **Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any :**

   (i). **Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area :** No

10. **Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :**

   (i). **Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project :** Yes

11. **Details of violation(s), if any ,committed :**

   Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been

(i). **carried out :** No

12. **Whether work in violation is still in progres(Yes/No) :** No Data

13. **Details of compensatory afforestation scheme :**

(ii). **Total Financial Outlay for C.A:** 15.27

(iii). **Whether the land identified by User Agency is suitable for CA and from managementpoint of view?:** Yes

(iv). **Copy of certificate regarding suitability of land identified for CA and from management point of view:** Annexure regarding suitability of land

(v). **Copy of detailed CA scheme including species to be planted,implementing agency,time schedule,cost structure etc.:** Annexure CA scheme including species to be planted

14. **District Profile :**

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Pithoragarh	716900	215750.56	1717.078	404	2186.438	31/12/2014	1112	495

15. **Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land :**

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Pithoragarh	North Kumaun	DFO	Yes	One	Site Inspection Report	16/01/2015
	North Kumaun	CF	Yes	One	Site Inspection Report	07/02/2015

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV))

16. **Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason :**

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Pithoragarh	North Kumaun	DFO	Recommended	Recommended	Recommendation letter	
	North Kumaun	CF	Recommended	This proposal under PMGSY is in Public Interest. As per Proposal a population of 363 of 1 villages will be benefited. Hence recommended	Recommendation letter	Yes

Print page

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details

A-1. Project Details

(i). Proposal No. : FP/UK/ROAD/8091/2014

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : Didihat to Pamsyari Motor Road

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : This road will connect Malli Duni, Khankar,Talli and Malli Pamsyari habitations and in which 5.857 Hec required to construct this (Didihat-Pamsyari) Motor Road.

(iv). State : Uttarakhand

(v). Category of the Project : Road

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear

(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 513.35

(viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 5.857

(ix). Total Area of Non-Forest Land proposed for diversion(in ha.): 1.489

(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): 50

A-2. Details of User Agency

(i). Name : Vinod Kumar

(ii). Address1 : P.M.G.S.Y Didihat

(iii). Address2 : Didihat

(iv). State : Uttarakhand

(v). District : Pithoragarh

(vi). Pin : 262542

(vii). Landmark : P.M.G.S.Y

(viii). Email address : eepmgsydidihat@rediffmail.com

(ix). Landline Telephone No. : 232036

(x). Fax No. : NIL

(xi). Mobile No. : 9456590705

(xii). Website (if any) : NIL

(xiii). Details of Proposals seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land submitted by the User Agency in the past : No

(xiv). Legal status of User Agency : State Government

A-3. Details of Person Making Application

(i). First Name: vinod

(ii). Middle Name: kumar

(iii). Last Name: singh

(iv). Gender: Male

(v). Designation: Executive Engineer

(vi). Address 1: P.M.G.S.Y Didihat

(vii). Address 2: P.M.G.S.Y Didihat

(viii). State: Uttarakhand

(ix). District: Pithoragarh

(x). Tehsil: Didihat

(xi). Pin: 262542

(xii). Landmark: P.M.G.S.Y

(xiii). Email Address: eepmgsydidihat@rediffmail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 232036

(xv). Fax No.: 5964232036

(xvi). Mobile No.: 9456590705

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: Annexure U.A Document

B. Details of land required for the Project

B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

(i). Whether any proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land required for the project has been submitted in the past?. : No

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Pithoragarh	5.857	1.489

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Pithoragarh	5.857	1.489

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Malli Duni, Kankar,Talli and Malli Pamsyari	5.857	1.489

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	1	5.857	1.489

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Pithoragarh

(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 5.857

(ii). : Linear

(b). No. of Segments : One

Segment wise details		
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments
1.	5.857	Annexure Segment1

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: Annexure Survey of India Toposheet

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: Annexure scanned copy of the Geo-referenced map

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land : Annexure Justification

(ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: Yes

(a). Copy of map indicating location of alternative examined: Annexure alternative examined

E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment ?: Yes

(ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 363

(iii). Temporary Employment(Number of person-days): 10

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: Yes

(a). Copy of Cost-Benefit analysis: Annexure Cost-Benefit analysis

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? : No

I. Status of Wildelife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i).Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Yes

(a). Copy of documentry evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted: Annexure Documentry Evidence

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: Yes

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be c

(iii). No. of districts involved for raising Compensatory Afforestation: 1

(iv). No. of patches: Two

District 1. : Pithoragarh

(a). Village: Pamsyari,Khetar kanyal

(b). Area(in ha.): 11.714

(c). Copy of KML file of the patch: Annexure Patch

(d). Khasra details:
7289,7284,7126,7123,7129,7556,9322,6290,6007,6003,6001,5844,5818,5590,5483,5481,5378,4973,4376,4380,4244,4092,4086,3994,3992,3979,3938,3921,3850,3732,3665,3664,3656,3

(e). Present owner: Others

(f). Copy of ownership proof: Annexure Copy of Ownership proof

(g). Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency: Annexure Mou/Agreement/Letter of intent executed/issued

(h). Copy of non encumberence certificate for the forest land: Annexure non encumberence certificate

(v). Scanned copy of the map of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS ot Total Station: Annexure GPS or Total Station

(vi). Copy of Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation: Annexure Survey of India Toposheet

Additional information Details

Documents		
S.No	**Documents**	**Remarks**
1	Additional Info.	Short narrative and importance (2.1)
2	Additional Info.	Administrative and financial sanction (2.2)
3	Additional Info.	Saiyukt Nirakshan Report (2.3)
4	Additional Info.	Comparative chart (A-2.4)
5	Additional Info.	Demand of forest land to be minimum (A-2.5)
6	Additional Info.	Land Schedule (A-2.6)
7	Additional Info.	Dimentions of land (A-2.7)
8	Additional Info.	Barchart (A-2.8)
9	Additional Info.	CA scheme (A-2.9)
10	Additional Info.	Suitability of CA (A-2.10)
11	Additional Info.	To bear the cost of CA (A-2.11)
12	Additional Info.	To bear the cost of Road side plantation with Estimate (A-2.12,2.13)
13	Additional Info.	Trees with Botnical name (A-2.15)
14	Additional Info.	Oak Trees (A-2.16)
15	Additional Info.	Felling of trees is not involved (A-2.17)
16	Additional Info.	Minimum trees to be fallen (A-2.18)
17	Additional Info.	Muck disposal scheme (A-2.19)
18	Additional Info.	National park Distance certificate (A-2.20)
19	Additional Info.	Distance from National park (A-2.21)
20	Additional Info.	No violation act (A-2.23)
21	Additional Info.	NOC (A-2.24)
22	Additional Info.	Component wise detail (A-2.25)
23	Additional Info.	Work has not started (A-2.27)
24	Additional Info.	Geologist report (A-2.28)
25	Additional Info.	Taske force (A-2.29)
26	Additional Info.	Standard conditions (A-2.30)
27	Additional Info.	TO complying Standard conditions (A-2.31)
28	Additional Info.	Geologist recomendations (A-2.32)
29	Additional Info.	No historical monuments will be affected (A-2.33)
30	Additional Info.	No animal will be affecyed (A-2.34)
31	Additional Info.	Providing fuel to labours (A-2.34)
32	Additional Info.	Providing fuel to labours (A-2.35)
33	Additional Info.	NPV estimations(A-2.37)
34	Additional Info.	Lease rent certificate(A-2.39)
35	Additional Info.	Fact sheet(A-2.44)

Print page

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक — 2389 / 12—1 अल्मोड़ा, दिनांक, 22.04.2015.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी
देहरादून।

विषय :— डीडीहाट से पमस्यारी मोटर मार्ग निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव **(प्रस्ताव संख्या—8091 / 2014)।**

संदर्भ :— **आपकी ऑन—लाइन आपत्ति दिनांक 22.04.2015 ।**

महोदय,

आपके **पत्रांक 2601 / 1जी दिनांक 18.03.2015 से** सूचित आपत्तियों के कम में अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग पी0एम0जी0एस0वाई0 डीडीहाट द्वारा अपने **पत्र दिनांक 09.04.2015** से जो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। वह आपत्तियों के परिपेक्ष्य में व उपलब्ध अभिलेखो के आलोक में संतोषजनक प्रतीत होता है।

भवदीय

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 2364 / 12–1 अल्मोड़ा, दिनांक, 18.04.2015.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी
देहरादून।

विषय :– **डीडीहाट – पमस्यारी** मोटर मार्ग निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव **(प्रस्ताव संख्या–8091 / 2014)।**

संदर्भ :– **आपकी पत्र संख्या 2601 / 1जी दिनांक 18.03.2015।**

महोदय,

आपके संदर्भित पत्र से प्रस्ताव के सम्बन्ध में सूचित आपत्ति का निराकरण याचक विभाग द्वारा अपने **पत्रांक 2754 / 12–1 दिनांक 18.04.2015** से किया है। पत्र की प्रति मय संलग्नकों के सलग्न कर प्रेषित है कृपया अवलोकन कर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय
18/04

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
e-mail: dfo_pith_uta @ yahoo . com दूरभाष / फैक्स नं0– ☎ (05964) 225234

पत्रांक 2754/ 12-1 दिनांक, पिथौरागढ, 18, अप्रैल 2015 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत,
उत्तराखण्ड अल्मोडा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में प्रस्तावित डीडीहाट से पमस्यारी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भः– आपका पत्रांक सं0–2145 दि0–20–02–2015 व नोडल अधिकारी की पत्र सं0 2801 दि0 18–03–2015 व प्रस्ताव विभाग की पत्र सं0 31 दि0 09–04–2015 ।

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र के कम्र मे विषयांकित मोटर मार्ग से संबंधित आपत्तियों का बिन्दुवार(1 स`4) निराकरण कर प्रेषित किया जा रहा हैं।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वनप्रभाग,पिथौरागढ़।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0, डीडीहाट (पिथौरागढ़) ।

/फैक्स नं0 05964–232036 ई–मेलः– (1) eepmgsydidihat@rediffmail.com
(2) exen.res.pmgsy.pth.@gmail.com

पत्रांकः–31 /ग्रा0अ0से0/पी0आई0यू0/पी0एम0जी0एस0वाई0/ 2015–16, दिनांकः 9–4–2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, पिथौरागढ ।

विषय– जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट–पमस्यारी मोटर मार्ग –5.857 हे0 सिविल एवं पन पंचायतीवन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/8091/2014)

संदर्भ– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन सरक्षण /नोडल अधिकारी देहरादून के पत्रांक 2601 दिनाकं 18.03.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन सरक्षक देहरादून के पत्रांक 2601 दिनाकं 18.03.2015 के क्रम में जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट–पमस्यारी मोटर के सम्बन्ध में विन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है ।

1– मार्ग निर्माण में जो भी सिचांई गूल ,पेयजल,सम्पर्क मार्ग एवं प्राकृतिक जलश्रोत आयेगे उनकी सुरक्षा /पुर्ननिर्माण हेतु आवश्यक प्राविधान योजना में शामिल किये गये है ।

2– सडक निर्माण में कोई भी आवासीय भवन प्रभावित नही होगे ।

3– सडक निर्माण में न्यूनतम वृक्षो का पातल किया जायेगा एवं मार्ग के समररेखण में कोई भी फलदार वृक्ष प्रभावित नही हो रहा है ।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
पी0आई0यू0पी0एम0जी0एस0वाई
डीडीहाट (पिथौरागढ़) ।

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2601 /1जी–FP/UK/ROAD/8091/2014 देहरादूनः दिनांकः 18 मार्च, 2015

सेवा में,

वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त
अल्मोड़ा

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट – पमस्यारी मोटर मार्ग – 5.857 है0 सिविल एवं पंचायती वन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/8091/2014)

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक ऑनलाइन प्रेषित वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव के कम में निम्न आपत्तियों का निस्तारण कर सूचित करने का कष्ट करें:

1. वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रेषित अभिलेखों के साथ ग्राम सभा का प्रस्ताव का निम्न उद्दरण के बिंदु सं0 2 व 4 के क्रम में प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से प्राकृतिक जल श्रोतों पर प्रभाव का अध्ययन करने तथा इनकी सुरक्षा हेतु उपाय के बारे में योजना तैयार कर प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाए। सड़क निर्माण के दौरान कम से कम वृक्षों के पातन के बारे में भी विस्तृत आख्या दिया जाए।

मुआवजा दिया जाय।
(2) सड़क निर्माण से प्रभावित सिंचाई गूल, पेयजल
सम्पर्क मार्ग व प्राकृतिक जल स्रोत की सुरक्षा किया जाय
एवं क्षतिग्रस्त होने पर पुनः निर्माण कराया जाय।
(3) सड़क निर्माण से प्रभावित होने पर आवासीय भवनों
की सुरक्षा एवं मुआवजा दिया जाय।
(4) सड़क निर्माण के दौरान कम से कम वृक्षों का
पातन किया जाय एवं फलदार वृक्षों का मुआवजा
दिया जाय।

भवदीय,

(एस.टी.एस.लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

o/c